रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-15042023-245187
CG-GJ-E-15042023-245187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945
No. 236] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 11 अप्रैल, 2023

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2023

फा. सं. आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी036.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और 13 के साथ पठित धारा 28 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् -

अध्याय 1

सामान्य

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता -

(1) इन नियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये विनियम सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) पर लागू होंगे, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

2. **उद्देश्य –**

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों (आईआईओ) द्वारा पुनर्बीमाव्यवसाय की आवक और जावक व्यवस्था पर नजर रखने और नियंत्रण करने के लिए ढांचा प्रदान करना।

3. परिभाषाएं -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **'लेखांकन वर्ष'** का वही अभिप्राय: होगा जो इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति) विनियम 2022 के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) के अधीन दिया गया है**;**

(ख) **'अधिनियम'** का अभिप्राय: है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50);

(ग) **'वैकल्पिक जोखिम अंतरण'** या **'एआरटी'** का अभिप्राय: गैर - पारंपरिक संरचित पुनर्बीमासमाधान से है जो भारतीय बीमाकर्ता, विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं और रूपरेखा के अनुरूप बनाने के लिए तैयार किए गए हैं;

(घ) **'प्राधिकरण'** या **'आईएफएससीए'** का अभिप्राय: अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;

(ङ) **'बोर्ड'** का अभिप्राय:है आईआईओ का निदेशक मंडल; यदि आईआईओ अनिगमित रूप में है तो आईआईओ की मूल एंटि टीका बोर्ड;

(च) **'अर्पणकर्ता'** का अभिप्राय:है आईआईओ जो प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय की हामीदारी करता है और पुनर्बीमाकर्ता के जोखिम के एक भाग को अनुबंधित रूप से अर्पित करता है;

(छ) **'अध्यर्पण'** का अभिप्राय: है, अर्पणकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता पर डाले गए जोखिम का भाग;

(ज) **'कवर नोट'** का अभिप्राय: है लिखित दस्तावेज, जो पुनर्बीमाकर्ता, संयुक्त या पुनर्बीमा ब्रोकर द्वारा अर्पणकर्ता या पुनः बीमाकर्ता को जारी पुनर्बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों का विवरण प्रस्तुत करता है;

(झ) **'घरेलू टैरिफ क्षेत्र'** या **'डीटीए'** का अभिप्राय: है संपूर्ण भारत (प्रादेशिक जल और महाद्वीपीय निधानी सहित) लेकिन इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) के अधीन स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्र शामिल नहीं हैं;

(ञ) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए **'विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता'** का अभिप्राय: वही होगा जो इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के अधीन दिया गया है**;**

(ट) **फ्रंटिंग'** का अभिप्राय: जोखिम को अंतरित करने की प्रक्रिया से है जिसमें आईआईओ अधिकांश या सभी अनुमानित जोखिम को पुनर्बीमाकर्ता या या पुनः पुनर्बीमाकर्ता को अध्यर्पित कर देता है;

(ठ) **'भारतीय बीमाकर्ता',** इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उपधारा (9) के अधीन परिभाषित 'बीमाकर्ता' है, जिसे बीमा नियामक और भारतीय विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है;

(ड) **'बीमा पूल'** का अभिप्राय: बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय का संयुक्त हामीदारी परिचालन से है जिसमें भागीदार आईआईओ सभी व्यवसाय में पूर्वनिर्धारित शेयर अभिकल्पित करते हैं**;**

(ढ) **'आईआरडीएआई'** का अभिप्राय: बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के अधीन गठित भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से है;

(ण) **'बीमा खंड'** से अभिप्राय: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित खंडों में से किसी एक या अधिक में आईआईओ द्वारा संचालित बीमा या पुनर्बीमा व्यवसाय से है:

(i) अग्नि (तेल और ऊर्जा को छोड़कर)

(ii) समुद्री पतवार;

(iii) समुद्री कार्गो;

(iv) इंजीनियरिंग;

(v) विमानन;

(vi) मोटर;

(vii) स्वास्थ्य (व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा सहित), जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नीतियों के अलावा;

(viii) फसल;

(ix) ट्रेड क्रेडिट;

(ix) तेल और ऊर्जा;

(xi) देयता;

(xii) विविध;

(xiii) जीवन (जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी पॉलिसियों सहित);

(xiv) कोई अन्य खंड (विविध खंड के अधीन) जो विविध खंड के सकल लिखित प्रीमियम के दस प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है;

(xv) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य खंड।

(त) **'अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालय'** या **'आईआईओ'** का वही अभिप्राय: होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2021 के खंड (ट) के अधीन इसे दिया गया है;

(थ) **'मूल एंटिटी'** या **'प्रधान कार्यालय'**का वही अभिप्राय: होगा जो इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा व्यवसाय का पंजीकरण) विनियम, 2021 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (प) के अधीन इसे दिया गया है।;

(द) **'पुनर्बीमा'** का वही अभिप्राय: होगा जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उप-धारा (16ख) के अधीन इसे दिया गया है;

(ध) **'पुनर्बीमा अनुबंध'** वाणिज्यिक समझौते से संदर्भित है जो पुनर्बीमा स्लिप या कवर नोट या किसी अन्य उपयुक्त दस्तावेज द्वारा प्रमाणित सभी पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है;

(न) **'पुनर्बीमा स्लिप'** से ऐसा दस्तावेज संदर्भित है, जो जोखिम, पुनर्बीमा के लिए प्रस्तावित नियमों और शर्तों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है;

(प) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'पुनर्बीमाकर्ता' का अभिप्राय: है आईआईओ, भारतीय बीमाकर्ता, विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय करने वाला पुनर्बीमाकर्ता;

(फ) **'प्रतिधारण'** का अभिप्राय: है जोखिम का वह भाग, जिसे आईआईओ मानता है कि यह उसके अपने खाते का है;

(ब) **'पुन: पुनर्बीमाकरण'** का अभिप्राय: है पुनर्बीमा लेनदेन जिसके द्वारा अभिकल्पित पुनर्बीमित जोखिम का एक भाग आगे किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता को सौंप दिया जाता है;

(भ) **'संधि'** का अभिप्राय: है अर्पणकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता के बीच या पुनर्बीमाकर्ता और पूर्व पुनर्बीमाकर्ता के बीच परिभाषित वर्ग या खंड के पुनर्बीमा के लिए लागू तकनीकी विवरण और वित्तीय शर्तों को निर्धारित करता है (वर्गों);

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो अधिनियम की पहली अनुसूची में वर्णित अधिनियम या अधिनियमों या इनके अधीन बनाए गए किसी नियमों, विनियमों या अधिसूचनाओं में परिभाषित हैं, के अभिप्राय: क्रमश:,वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, मेंउनके लिए नियत किए गए हैं।

अध्याय II
पुनर्बीमा रणनीति और पुनर्बीमा कार्यक्रम के उद्देश्य

4. पुनर्बीमा रणनीति और पुनर्बीमा कार्यक्रम -

(1) प्रत्येक आईआईओ अपनी पुनर्बीमा रणनीति और पुनर्बीमा कार्यक्रम (आरएसआरपी) को विकसित और प्रलेखित करेगा, जो आईआईओ की समग्र हामीदारी रणनीति और जोखिम प्रबंधन दर्शन का अभिन्न अंग होगा।

(2) पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रबंधन-के उत्तरदायित्वों और नियंत्रण के चयन और निगरानी के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को पुनर्बीमा प्रबंधन प्रणालियों सहित आरएसआरपी में शामिल किया जाएगा।

(3) आईआईओ, जोखिम को अध्यर्पित या अधो-अध्यर्पित करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार जोखिम एकाग्रता स्तर और अध्यर्पण या अधो-अध्यर्पणकी सीमा को स्पष्ट रूप से प्रलेखित करेगा।

(4) आईआईओ या आईआईओकी मूल एंटिटी,जैसा भी मामला हो, का वरिष्ठ प्रबंधन -

(क) आरएसआरपी का विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव करना जो आईआईओ के संचालन के लिए प्रासंगिक होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आईआईओ के पास अपने व्यावसायिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) आरएसआरपी को लागू करने के लिए परिचालन नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार करना;

(ग) आईआईओ की पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट कार्यप्रणाली विकसित करना, जिसमें निम्नांकितशामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं -

(i) जोखिम के प्रति सहिष्णुता का अभिनिर्धारण;

(ii) उचित पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के साथ जोखिम के प्रति सहिष्णुता की तुलना में खंडवार जोखिम स्तरों का अभिनिर्धारण;

(iii) प्रयुक्त पुनर्बीमाकर्ताओं के पैनल का चयन,जिसमें पुनर्बीमाकर्ताओं के विविधीकरण और क्रेडिट योग्यता पर विचार करना शामिल है;

(iv) बीमाकर्ता की हामीदारी बहियों में किसी विशेष उद्योग, भौगोलिक क्षेत्र, उत्पाद प्रकार, और/या एकल बीमा के संबंध में सभी संभव संकेंद्रण जोखिमों का प्रबंधन;

(v) पुनर्बीमा व्यवस्था की संरचना में उनकी भूमिका सहित पुनर्बीमा ब्रोकरों की भागीदारी, यदि कोई हो,;

(vi) आरएसआरपी की निगरानी, समीक्षा और अद्यतन करने की प्रक्रिया;

(vii) ऋण और नकदी जोखिम का प्रबंधन;

(viii) पुनर्बीमा अनुबंध से उत्पन्न कानूनी जोखिम का प्रबंधन;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करना कि सभी व्यावसायिक गतिविधियां आरएसआरपी के अनुपालन में संपन्न हों;

(ड़) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करना;

स्पष्टीकरण - अभिव्यक्ति "वरिष्ठ प्रबंधन" का अभिप्राय: आईआईओ या आईआईओ की मूल एंटिटी, जैसा भी मामला हो, के कार्मिकों से है, जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसके मुख्य प्रबंधन दल के सदस्य हैं, जिसमें प्रकार्यात्मक प्रमुखों सहित कार्यकारी निदेशकों से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल हैं।

(5) आईआईओका बोर्ड प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर लेखांकन वर्ष-वार आरएसआरपी को अनुमोदित करेगा;

बशर्ते कि अनिगमित रूप में आईआईओके मामले में, इसकी मूल एंटिटी आईआईओ के लिए परिकल्पित आरएसआरपीका विवरण प्रदान करेगी।

(6) जब भी प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाएगा, अनुमोदित आरएसआरपी उसे प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय III

5. **पुनर्बीमा अनुबंध और जोखिम अंतरण -** पुनर्बीमा अनुबंध के रूप में वर्गीकृत किसी भी अनुबंध में निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:-

(1) यह विशेष लेखांकन वर्ष के लिए जोखिम अंतरण अपेक्षाओं को पूरा करेगा;

(2) यह अध्यर्पित बीमा व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक वित्तीय प्रभावों से अध्यर्पित बीमाकर्ता या पुन: पुनर्बीमाकर्ता को बचाता है;

स्पष्टीकरण:

(i) उन मामलों में जहां एआरटी व्यवस्था वित्त व्यवस्था के संयोजन से पुनर्बीमा की प्रकृति की है, और ऐसे संघटक अलग करने में सक्षम हैं, तो प्रत्येक तत्व की गणना आईआईओ द्वारा अपनाए गए लेखांकन मानकों के अनुसार की जानी चाहिए;

(ii) उन मामलों में जहां पूर्वोक्त संघटक वियोज्य नहीं हैं, संपूर्ण एआरटी व्यवस्था को वित्तीय लेनदेन माना जाएगा और तदनुसार इसका लेखा-जोखा रखा जाएगा । सभी आईआईओ "प्ररूप के ऊपर सार" को देखते हुए एआरटी व्यवस्थाओं का हिसाब रखेंगे और आईआईओ द्वारा अपनाए गए लेखांकन मानकों के अनुसार ऐसी व्यवस्थाओं का हिसाब रखा जाएगा।

अध्याय IV

पुनर्बीमा और पुनर्सृजन अपेक्षाएँ

6. प्रतिधारण नीति -

(1) प्रत्येक आईआईओ अपने बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित खंड-वार प्रतिधारण नीति तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करते हुए कि पुनर्बीमा व्यवस्था जोखिमकारी नहीं है, अपनी वित्तीय शक्ति और जोखिम की गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिधारण को अधिकतम करेगा;

(2) प्राधिकरण को अपनी प्रतिधारण नीति को सही ठहराने के लिए आईआईओ की आवश्यकता हो सकती है और आवश्यक समझे जाने पर ऐसे निदेश दे सकता है;

(3) प्रत्येक आईआईओ न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षाओं का पालन करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

7. पुनर्बीमा व्यवसाय का नियोजन:

(1) प्रत्येक आईआईओ, विदेशी बीमाकर्ताओं या विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय (अध्यर्पण या अधो-अध्यर्पण) करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि -

(i) ऐसे विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता और इसके प्रवर्तक, साझीदार या नियंत्रक शेयरधारक वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल के सार्वजनिक विवरण में अभिनिर्धारित क्षेत्राधिकार से संबंधित नहीं हैं:

(क) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें रणनीतिक धन शोधन निवारण या आतंकवाद वित्तपोषण से प्रतिस्पर्धा में कमियों से निपटने के लिए प्रतिरोधी उपाय लागू होते हैं; या

(ख) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसने कमियों को दूर करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या ऐसी कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल को विकसित \करने के लिए कार्य योजना के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है;

(ii) इस तरह के विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को अपने गृह देश नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किया गया है और पिछले तीन लगातार वर्षों के दौरान पुनर्बीमा व्यवसाय के लेन-देन में कार्यरत है; और

(iii) ऐसे विदेशी बीमाकर्ता या विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के गृह देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौते (डीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

अध्याय V

विविध

8. बीमा पूल:

(1) कोई भी आईआईओ बीमा पूल के गठन के लिए प्रस्ताव शुरू कर सकता है और पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इसे प्राधिकरण के पास जमा कर सकता है;

(2) प्राधिकरण, अपने उद्देश्यों, आधार, भागीदारी की क्षमता, दायित्व की सीमा और नियमों और शर्तों सहित विभिन्न कारकों की जांच करने के बाद, बीमा पूल के गठन की अनुमति दे सकता है;

(3) प्राधिकरण, जहां भी आवश्यक हो, स्वयं प्रेरित होकर आईआईओ को बीमा पूल बनाने और उसमें भाग लेने का निर्देश दे सकता है;

(4) बीमा पूल का गठन एवं ऐसे बीमा पूल के प्रशासक की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्देशिततरीकेके अनुसार होगी;

(5) बीमा पूल प्रशासक समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके और आवधिकता में रिटर्न, पुनर्बीमा व्यवस्था का विवरण, पूल के प्रदर्शन संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा।

9. **रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ:** आईआईओ आवक और जावक पुनर्बीमा व्यवस्था से संबंधित जानकारी, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके, अंतराल और रूप में प्रस्तुत करेगा।

10. प्रक्रिया आदि विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

इन विनियमों के कार्यान्वयन और उससे संबंधित मामलों के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण आईआईओ द्वारा अनुपालन के लिए मानदंड, प्रक्रिया, प्रक्रिया और तरीके निर्दिष्ट कर सकता है।

11. कठिनाइयों को दूर करने और विनियमों के कड़ाईसे प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति:

(1) इन विनियमों के उपबंधों को लागू करने या उनकी व्याख्या करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(2) निर्दिष्ट अप्रतिदेय प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर, प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध के कड़े प्रवर्तन को शिथिल कर सकता है।

12. कतिपय विनियमों की गैर-प्रयोज्यता और व्यावृत्तियां:

(1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को और से, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 और उसके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्र या दिशानिदेश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में लागू नहीं होंगे।

(2) उप-विनियम (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के शुरू होने से पहले, उप-विनियम (1) में उल्लिखित विनियमों, परिपत्रों या दिशानिर्देशों के अधीन किया गया कोई कार्य या कार्रवाई इन नियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई माना जाएगा।

(3) इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत आईआईओ, इन विनियमों के प्रारंभ होने से तीन माह की अवधि के भीतर या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./016/2023-24]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 11th April, 2023

International Financial Services Centres Authority (Re-insurance) Regulations, 2023

F. No. IFSCA/2022-23/GN/REG036.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sections 12 and 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and clause (zd) of sub-section (2) of Section 114A of the Insurance Act, 1938, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely -

CHAPTER I

General

1. **Short title, commencement and applicability -**

(1) These regulations may be called the International Financial Services Centre Authority (Re-insurance) Regulations, 2023.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall be applicable to all International Financial Services Centres Insurance Offices (IIOs) unless otherwise specified.

2. **Objectives –**

To provide framework for oversight and control of inward and outward arrangement of re-insurance business by the International Financial Service Centre Insurance Offices (IIOs).

3. **Definitions –**

(1). In these regulations, unless the context otherwise requires –

(a) **'accounting year'** shall have the same meaning as assigned to it under clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 4 of the International Financial Services Centres Authority (Preparation and Presentation of Financial Statements of International Financial Service Centre Insurance Offices) Regulations 2022;

(b) **'Act'** means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

(c) **'Alternate Risk Transfer'** or **'ART'** means non-traditional structured re-insurance solutions tailored to suit specific needs and profile of an IIO, Indian insurer, foreign insurer or foreign re-insurer;

(d) **'Authority' or 'IFSCA'** means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(e) **'board'** means the board of directors of an IIO; or the Board of the Parent Entity of an IIO, in case the IIO is in an unincorporated form;

(f) **'cedant'** means an IIO who underwrites direct insurance business and contractually cedes a part of its risk to a re-insurer;

(g) **'cession'** means the part of risk passed to a re-insurer by the cedant;

(h) **'cover note'** means a written document, detailing the terms and conditions of the re-insurance contract, issued by a re-insurer, composite or re-insurance broker authorised by the re-insurer to the cedant or retrocessionaire;

(i) **'Domestic Tariff Area'** or '**DTA'** means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones established under The Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(j) **'foreign insurer** or **foreign re-insurer'**shall have the same meaning as assigned to it under clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations 2021;

(k) **'fronting'** means a process of transferring risk in which an IIO cedes or retro-cedes most or all of the assumed risk to a re-insurer or retrocessionaire;

(l) **‘Indian Insurer’**, for the purpose of these regulations, means an ‘insurer’ as defined under sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938, who has been granted certificate of registration by the Insurance Regulatory and Development Authority of India;

(m) **'insurance pool'** means a joint underwriting operation of insurance or re-insurance business, in which the participating IIOs assume a predetermined share in all business written;

(n) **‘IRDAI’** means The Insurance Regulatory and Development Authority of India constituted under the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(o) **‘insurance segment’**, for the purpose of these regulations, means insurance or re-insurance business transacted by an IIO in any one or more of the following segment:

(i) Fire (Other than Oil & Energy);

(ii) Marine Hull;

(iii) Marine Cargo;

(iv) Engineering;

(v) Aviation;

(vi) Motor;

(vii) Health (including Personal Accident & Travel), other than policies issued by insurers transacting Life Insurance business;

(viii) Crop;

(ix) Trade Credit;

(x) Oil & Energy;

(xi) Liability;

(xii) Miscellaneous;

(xiii) Life (including health insurance policies issued by Life Insurers);

(xiv) Any other segment (under Miscellaneous segment) which contributes more than ten percent of the Gross Written Premium of the Miscellaneous segment;

(xv) Any other segment as may be specified by the Authority from time to time.

(p) **‘International Financial Services Centre Insurance Office’** or **‘IIO’** shall have the same meaning as assigned to it under clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations 2021;

(q) **‘Parent Entity’** or **‘Head Office’** shall have the same meaning as assigned to it under clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Registration of Insurance Business) Regulations, 2021;

(r) ‘**Re-insurance’** shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (16B) of section 2 of the Insurance Act, 1938;

(s) **'re-insurance contract'** refers to a commercial agreement which is legally binding on all the parties evidenced by a Re-insurance Slip or Cover Note or any other suitable document;

(t) **‘re-insurance slip’** refers to a document which provides the abridged details of the risk, terms and conditions offered for re-insurance;

(u) **‘re-insurer’** for the purpose of these regulations means an IIO, Indian Insurer, foreign insurer or foreign re-insurer carrying out re-insurance business;

(v) **'retention'** means the portion of the risk which an IIO assumes for its own account;

(w) **'retrocession'** means a re-insurance transaction whereby a part of assumed re-insured risk is further ceded to another re-insurer;

(x) **'treaty'** means a re-insurance contract between a cedant and a re-insurer, or between a re-insurer and a retrocessionairewhich stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the re-insurance of defined class(es) or segment(s) of business;

(2). Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or any rules, regulations or notifications made thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

Re-insurance Strategy and Objectives of Re-insurance Programme

4. **Re-insurance strategy and re-insurance programme -**

(1) Every IIO shall develop and document its Re-insurance Strategy and Re-insurance Programme (RSRP), which shall form an integral part of the IIO's overall underwriting strategy and risk management philosophy.

(2) The policies and procedures for selecting and monitoring re-insurance arrangements as well as management responsibilities and controls including re-insurance management systems shall be included in the RSRP.

(3) An IIO, ceding or retroceding the risk shall *inter-alia* clearly document the risk concentration levels and cession or retrocession limits as per its risk appetite.

(4) The senior management of the IIO or Parent Entity of the IIO, as the case may be, shall –

(a) develop, implement and maintain RSRP which shall be relevant to the operations of the IIO and shall ensure that the IIO has sufficient resources to meet their business obligations;

(b) formulate operational policies and procedures for implementing the RSRP;

(c) develop clear methodologies for evaluating re-insurance arrangements of the IIOs, including but not limited to -

(i) identification of tolerance to risk;

(ii) identification of the segment-wise risk retention levels vis-à-vis tolerance to risk with appropriate re-insurance arrangements;

(iii) selection of the panel of re-insurers used, including consideration of diversification and credit worthiness of the re-insurers;

(iv) management of all possible concentration of risks with respect to a particular industry, geographical region, product type, and/or single insured in the insurer's underwriting books;

(v) involvement of re-insurance brokers if any, including their role in structuring the re-insurance arrangements;

(vi) the process for monitoring, reviewing and updating the RSRP;

(vii) management of credit and liquidity risk;

(viii) management of legal risk arising from the re-insurance contract;

(d) develop robust internal control systems to ensure that all business activities are carried out in compliance with the RSRP;

(e) develop effective reporting systems to satisfy the requirements specified by the Board;

Explanation - The expression "senior management" means personnel of the IIO or Parent Entity of IIO, as the case may be, who are members of its core management team excluding Board of Directors, comprising all members of management one level below the executive directors, including the functional heads.

(5) The Board of the IIO shall approve accounting year wise RSRP within the timelines as may be specified by the Authority;

Provided that in case of an IIO in an unincorporated form, its Parent Entity shall provide details of RSRP designed for the IIO.

(6) The approved RSRP shall be submitted to the Authority, as and when directed by it.

CHAPTER III

5. **Re-insurance contract and Risk Transfer -** Any contract classified as a re-insurance contract shall have the following characteristics:–

(1) It shall meet the risk transfer requirements for particular accounting year;

(2) It protects the ceding insurer or retrocessionaire from negative financial impacts arising from the underlying insurance business ceded;

Explanation:

(i) In the cases where the ART arrangement is in the nature of re-insurance coupled with financing arrangement, andsuch components are capable of separation, each element should be accounted for as per the accounting standards followed by the IIO;

(ii) In the cases where the aforesaid components are not separable, the entire ART arrangement shall be treated as a financial transaction and accounted for accordingly. All the IIOs shall account for the ART arrangements by looking into the "Substance over Form", and such arrangements shall be accounted for as per the accountings standards followed by IIO.

CHAPTER IV

Re-insurance and Retrocession Requirements

6. **Retention Policy -**

(1) Every IIO shall formulate a segment-wise retention policy duly approved by its Board and shall maximise the retention commensurate with its financial strength and quality of risk while ensuring that the re-insurance arrangements are not fronting;

(2) The Authority may require an IIO to justify its retention policy and may give such directions, as considered necessary;

(3) Every IIOs shall comply with minimum retention requirements as may be specified by the Authority.

7. **Placement of re-insurance business:**

(1) Every IIO, before placing of re-insurance business (cession or retrocession) with the foreign insurers or foreign re-insurers, shall ensure that -

(i) such foreign insurer or foreign re-insurer and its promoters, partners or controlling shareholders are not from the jurisdiction identified in the public statement of Financial Action Task Force as:

(a) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or

(b) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;

(ii) such foreign insurer or foreign re-insurer is duly authorised by its home country regulatory or supervisory authority to transact re-insurance business and engaged in transacting re-insurance business during the immediate past three continuous years; and

(iii) the home country of such foreign insurer or foreign re-insurer has signed Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with India.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

8. **Insurance Pools:**

(1) Any IIO may initiate proposal for formation of an insurance pool and submit the same with the Authority for obtaining prior approval;

(2) The Authority, after examining various factors including but not limited to its objectives, basis, capacity for participation, limits of liability and terms and conditions, may permit for formation of insurance pool;

(3) The Authority, wherever necessary, may also suo-moto direct IIOs to create and participate in insurance pools;

(4) Constitution of the insurance pools and appointment of administrator of such insurance pool shall be in the manner as directed by the Authority;

(5) The insurance pool administrator shall submit the returns, details of Re-insurance arrangement, statements on theperformance of the pool, in the manner and periodicity as stipulated by the Authority from time to time.

9. **Reporting requirements**: An IIO shall furnish information related to inward and outward re-insurance arrangements, as the case may be, to the Authority, in such manner, interval and in such form, as may be specified by the Authority.

10. **Power to specify procedure, etc.**

For the purpose of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes and manners for compliance by IIOs.

11. **Power to remove difficulties and relax strict enforcement of the regulations:**

(1) In order to remove any difficulty in the application or interpretations of the provisions of these regulations, the Authority may issue clarifications through guidance notes or circulars.

(2) On an application, received along with the specified non-refundable processing fees, the Authority, may for the reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any of the provisions of these regulations.

12. **Non-applicability of certain regulations and savings:**

(1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority (Re-insurance) Regulations, 2018 and,circulars or guidelines issued thereunder shall cease to apply in International Financial Services Centres.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the regulation, circulars or guidelines mentioned in sub-regulation (1), before the commencement of these regulations, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

(3) An IIO operating in an International Financial Services Centre prior to the commencement of these regulations, shall comply with the additional requirements specified in these regulations, if any, within a period of three months from the of commencement of these regulations or within such extended period as may be specified by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./016/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.